

**SPEED POST /OUT TODAY/
MOST URGENT**

**GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, NEW DELHI
(RTI BRANCH, DTTE)**

(Ph. No. 27321024 & 27327771, Email:- piohqtte.delhi@gov.in)

NO.F.2 (16)/2006/RTI/TTE/ID No.4348/1150-51

Dated: 08.06.17

To

Sh. G.B.Singh,
15/22, Tilak Nagar,
New Delhi- 110018.

Sub: Supply of information Under RTI Act-2005.

Sir,

With reference to your application received on **15/05/2017** vide ID No. **4348** addressed to the undersigned regarding supply of information under Right to Information Act 2005. The replies/information in r/o DTTE (HQ) is as under:-

Information Sought	Information provided as per available records in the branches
Information as per Sl.No. 1	Complaint dated 30/04/2017 has been filed with the approval of Competent Authority.

As per provisions of the RTI Act, 2005 u/s 19 (1), if you are not satisfied, you may file an appeal to the 1st Appellate Authority. The address of First Appellate Authority is as under:-

**The First Appellate Authority,
Department of Training & Technical
Education, Room No.103, 1st Floor,
Pitampura, Delhi- 110034.**

Yours faithfully,

(AMOD BARTH WAL)
PIO(RTI) DTTE

Copy to the followings for further necessary action at their end please:-

1. The Assistant Programmer, DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of RTI application is also enclosed).

सेवा में,

दिनांक:-11/05/2017

श्रीमान जनसूचना अधिकारी जी,
प्रशिक्षण एंव तकनीकी शिक्षा विभाग,
मुनि माया राम मार्ग, पीतम पुरा,
दिल्ली - 110088

विषय - जनसूचना अधिकार 2005 के अर्न्तगत सूचना।

महोदय,

निवेदन यह है कि जनसूचना अधिकार के अर्न्तगत निम्नलिखित सूचनाओं को देने का कष्ट करें।

2. निवेदन यह है की मेरे द्वारा दिनांक 30/04/17 को स्पीड पोस्ट द्वारा तथा ई - मेल द्वारा पत्र बाईस दस्तावेजों के साथ विभाग DTTE के सर्तकता अधिकारी जी (Vigilance Officer-DTTE) को भेजा गया था। प्रति सलंग्न है। उसमें मेरे द्वारा माँगी गई सभी सूचनाओं के बिन्दुओं जैसे चार + चार + ग्यारह (04+04+11) के अर्न्तगत सभी बिन्दुओं पर आपके द्वारा आज तक क्या क्या कार्यवाही की गई है। इसका पूरा ब्यौरा फाईल नोटिंग सहित देने का कष्ट करें।

मैं आर. टी. आई. शुल्क 10/-रूपये के साथ भारतीय पोस्टल आर्डर सख्या 38F090376 साथ में सलंग्न कर रहा हूँ।

दिनांक:-11/05/2017

भवदीय

गुरिन्द्र बीर सिंह

15/22, तिलक नगर,
नई दिल्ली - 110018

3/3

सेवा में,

दिनांक: 30/04/17

अग्रिम प्रति

आदरणीय श्रीमान डी. पी. द्विवेदी जी, (I.A.S.),

श्रीमान विशिष्ट सतर्कता आयुक्त जी,

(Hon'ble Special Vigilance Commissioner),

Office of Special Secrtt. Finance (Revenue/Vigilance Commissioner),

4th तल, बी0 - विन्ग, कमरा नम्बर - 401

दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

(Through V.O. DTTE) & (DOV के द्वारा भिजवाने की कृपा करें।)

विषय:- विभाग DTTE के A.O. Vigilance अधिकारी जी श्रीमान जितेन्द्र जी द्वारा Hon'ble Special Vigilance Commissioner जी को झूठी तथा गुमराह करने वाली सूचना देने पर ।

महोदय जी,

निवेदन यह हैं की DTTE के A.O. Vigilance अधिकारी जी श्रीमान जितेन्द्र जी द्वारा आपको पत्र संख्या F.3(990)/DTTE Vig./2015/453 दिनांक 18/04/17 (जिसकी प्रति सलंग्न है।) के अर्न्तगत जो भी सूचनायें Hon'ble Special Vigilance Commissioner जी को दी गई हैं वह बिना ठोस सबूतों के बिना जॉच के तथा बिना दस्तावेजों के आधार पर बिल्कुल झूठी, गलत तथा गुमराह करने वाली दी गई है।

सर मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। जिससे की इस विभाग DTTE लगातार हो रहें भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा सके। जिसके लिये मैं कई वर्षों से भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिख रहा हूँ। जिसके परिणामस्वरूप विभाग DTTE के श्रीमान जितेन्द्र जी A.O. Vigilance अधिकारी जी द्वारा मुझे सताया जा रहा है। तथा भ्रष्टाचारियों के साथ मिलीभगत करके मुझे रिटायर होने के बाद भी छस किया जा रहा है।

आपकी कार्यवाही हेतू निम्न विवरण इस प्रकार से है।

1. उपरोक्त पत्र के अनुसार बिन्दू न0- 01 में,

श्री आर. पी. शर्मा जी को विभाग DTTE की ओर से 04/05/1992 में पहली बार Appointment के दौरान Ex - Servicemen कोटे का फायदा दिया गया था। जिसकी पुष्टि श्री आर. एस. सोलन्की जी के पत्र संख्या F.2(16)/2006/RTIB/TTE/TRG./ADMN./Part File-1/621/5491 Dated 29/07/15 & 30/07/15 द्वारा की गई हैं।

इसके बाद दूसरी बार फिर से नियमों का उल्लंघन करते हुए विभाग DTTE द्वारा Direct Recruitment के दौरान श्री आर. पी. शर्मा जी को दूसरी बार फिर से Ex - Servicemen कोटे का डबल फायदा (Twice Benefits) दिया गया था। जिसकी पुष्टि श्री आर. एस. सोलन्की जी के पत्र संख्या F.2(16)/2006/RTIB/TTE/TRG.ADMN/Part File-01/620 dated 29/07/15 द्वारा की गई हैं।

और यह DTTE द्वारा DOPT के आदेश संख्या G.I. Dept. Of Per. & Trg., O.M. No. 36034/21/87-Estt. (SCT), dated 07/11/1989 के नियमों व कानून को ताख पर रखकर सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है। प्रति सलंग्न है।

2. उपरोक्त पत्र के अनुसार बिन्दू न0- 02 में,

विभाग DTTE के A.O. Vigilance अधिकारी जी श्रीमान जितेन्द्र जी की ओर से शिकायतकर्ता को लगातार गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि जॉच अधिकारी श्री ए.वी. पाटिल जी द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, की मैं श्री जी. बी. सिंह की कोई जॉच नहीं कर रहा हूँ। जो की आर. टी. आई. के तहत सूचना दी गई थी। (प्रति सलंग्न है।)परन्तु इस सम्बन्ध में DTTE के

2/3

A.O. VIGILANCE अधिकारी जी श्री मन्मथ सिन्हा जी की ओर से शिकायत के खुलासा रूपांतरण करने वाला जवाब दिया जा रहा है की श्री जी. बी. सिंह जी की जाँच श्री ए. वी. पाटिल जी द्वारा की जा रही है।

DTTE के Vigilance अधिकारी जी के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है की भ्रष्टाचारीयों को संरक्ष

किया जा रहा है। (प्रति सलंगन है।)

3. उपरोक्त पत्र के अनुसार

आई. टी. आई. धीर पुर में श्री लोकपाल जी की भ्रष्टाचार से सम्बन्धित रिपोर्ट सचिवालय के Audit विभाग द्वारा Special Audit Report में भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया था। और इस रिपोर्ट पर Audit विभाग की ओर से सात सात स्मरण पत्र भेजने के बाद भी इनके द्वारा अनदेखा किया गया। तथा DTTE के A.O. Vigilance अधिकारी जी तथा प्रशासनिक अधिकारी जी के द्वारा कई सालों से इस रिपोर्ट को दबाकर रखा गया। और जब इस भ्रष्टाचार को मेरे द्वारा उजागर किया गया तो इन्होंने रिकार्ड को तोड़ मोड़ कर तथा स्टोर कीपर को दबाव देकर (प्रति सलंगन है।) तथा उसे मानसिक यातनायें देकर Special Audit Report के पैरों को तैयार करवाया। इस प्रकार दबाव देकर लिखवाना इन्सानियत के विरुद्ध है। इसकी किसी बाहरी एजेन्सी से निष्पक्ष जाँच करवाई जाये जिससे की राष्ट्रीय में सरकार के करोड़ों रूपयों के हुए नुकसान का खुलासा हो सके।

4. उपरोक्त पत्र के अनुसार बिन्दू न०- 04 के भाग 01, 02, 03 में,

श्री एम. एन. शर्मा जी के द्वारा सन् 2005 में आई. टी. आई विवेक विहार में पुराने इन्जनों की खरीद फरोखा में लाखों का घोटाला किया गया था। प्रति सलंगन है। उसे DTTE के A.O. Vigilance अधिकारी जी के द्वारा लगभग दस वर्षों तक दबाकर रखा गया। और कोई कार्यवाही नहीं की गई। बल्कि श्री एम. एन. शर्मा जी के उप्पर गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें विभाग DTTE के A.O. Vigilance अधिकारी जी द्वारा पदोन्नत कर दिया गया। जो की नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है।

इसके बाद जब हमारे द्वारा भ्रष्टाचार की आवाज उठाई गई तब जाकर विभाग DTTE की ओर से कार्यवाही शुरू की गई। इन बातों से प्रतीत होता है की विभाग DTTE का Vigilance Branch भ्रष्टाचारीयों को कई सालों से बचाने में लगा हुआ है। तथा उन्हें संरक्षण दे रहा है।

सर आई. टी. आई. पूसा की नई लेब की जाँच के अन्दर निम्नलिखित बातों को अनदेखा किया गया। तथा श्री एस. पी. सिंह जी जाँच अधिकारी जी द्वारा भी जाँच में महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा किया गया जो की निम्न प्रकार से है। अतः आप से अनुरोध है की इन बातों पर पुनः विचार किया जाये।

1. आई. टी. आई. पूसा की पुरानी लेब की जितनी भी मशीनें थी वह चालू हालत में थी। उनको जल्दी से जल्दी कण्डम करके हमारी शिकायतों से सम्बन्धित सबूतों को नष्ट किया गया। इसकी जाँच करवाई जाये तथा इस जाँच में शिकायतकर्ताओं को भी शामिल किया जाये।
2. आई. टी. आई. पूसा की नई लेब में जितनी भी विद्युत मोटरें ट्रिनिटी से लगवाई गई है। उनकी निष्पक्ष जाँच करवाई जाये। जो की टेन्डर के अनुसार आई हैं या लोकल आई है।
3. आई. टी. आई. पूसा की नई लेब में जनरेटर तथा अन्य मशीनें STL के अनुसार आई भी हैं या नहीं। इसकी भी जाँच करवाई जाये।
4. आई. टी. आई. पूसा की नई लेब में जो मशीनें अथवा मोटरें Install की गई है। उनकी कीमतें मार्केट रेट से बहुत अधिक हैं। इसकी भी जाँच करवाई जाये।

सर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ की विभाग DTTE के उच्च अधिकारीयों द्वारा भारत की बनी हुई संस्ती व टिकाऊ मशीनों को छोड़ कर China (MADE IN CHINA) की बनी हुई घटिया क्वालिटी तथा लाखों की मशीनों की (इस सम्बन्ध में विभाग

में पहले से ही शिकायत दर्ज है। परन्तु उसे भी अनदेखा किया जा रहा है।) खरीद फरोख्त की जा रही है।

ऐसी मशीनों के बारे में अनुदेशक तथा बच्चों दोनों ही समझ नहीं है। इन मशीनों के खराब होने पर इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। तथा इनके स्पेयर पार्ट भी भारत में नहीं मिलते हैं। यह इसलिये किया जा रहा है ताकि इन्हें जल्दी से जल्दी कण्डम करके और माल जल्दी जल्दी खरीदा जा सके। इस प्रकार की कई घटनायें पहले भी घट चुकी है। जैसे की:-

1. आई. टी. आई. जेल रोड में श्री अजय वशिष्ठ जी द्वारा एक Re - Bore के नाम पर 06,23, 400/- रुपये (छः लाख तैस हजार चार सौ) के खर्च पर करवाया गया। इसकी भी जाँच करवाई जाये।
2. BTC पूसा में दीपक स्टोर के नाम पर फर्जी खरीद फरोख्त के बिल (प्रति सलंग्न है।) लगाये गये। जिसकी पुष्टि वेटो इन्सपेक्टर ने भी की थी। तथा स्टोर कीपर ने भी की थी। प्रति सलंग्न है।
3. श्रीमान जे. के. जोशी चौकीदार बी. टी. सी. पूसा की शिकायत को देखा जाये तो श्री अजय वशिष्ठ जी को Sexual Harassment के Case का पर्दाफास होगा। जिसे DTTE के Vigilance Officer के द्वारा दबाया जा रहा है।
4. श्री अजय वशिष्ठ जी द्वारा आई. टी. आई. जाफरपुर 20 रुपये वाले M.R.P. वाले पैर्दन नौचर तथा पैर्दन पन्च को 800/- रुपये पर पीस खरीदा गया। जिसकी सूचना आर. टी. आई. के अर्न्तगत दी गई है। (प्रति सलंग्न है।)
5. विभाग DTTE की कई शाखाओं में करोड़ों रूपयों के सॉफ्टवेयर खरीदे गये। जो की आज भी बिना चलाये कई सालों से अलमारीयों में बन्द पड़े है। जिनको चलाना भी अनुदेशकों को नहीं आता है।
6. विभाग DTTE द्वारा करोड़ों रूपयों के EDUSET खरीदे गये। जो की आज भी बिना चलाये कई सालों से अलमारीयों में बन्द पड़े है।
7. आई. टी. आई. पूसा के अन्दर श्री लोकपाल जी द्वारा जो Auction किया गया है। उसकी जाँच करवाई जाये जिससे की करोड़ों रूपयों को बर्बाद होने से बचाया जा सके।
8. विभाग DTTE द्वारा लाखों रूपयों के Biometric Machines खरीदी गई। जो की जो की बिना उपयोग किये ही कण्डम कर दी गई।
9. श्रीमान डी. पी. एस. वर्मा जी की जाँच रिपोर्ट को विभाग DTTE के Vigilance Officer के द्वारा मिलीभगत के कारण आज तक दबाकर रखा गया तथा शिकायतकर्ताओं को गुमराह करते हुए भ्रष्टाचारीयों को बचाया गया। (प्रति सलंग्न है।)
10. विभाग DTTE में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित फाईलों को RTI -2005 के तहत तथा दिल्ली आर. टी. आई. 2001 के तहत ना तो निरिक्षण करवाया जाता है और ना ही दस्तावेजों को माँगने पर दिया जाता है।
11. आई. टी. आई. पूसा तथा आई. टी. आई. जेल रोड में पक्के फर्शों को तोड़ तोड़ कर कच्ची मिटटी की टाईलें लगवाई जा रही है। जो की किसी भी तकनीकी संस्थान में नहीं लगवाई जाती है।

धन्यवाद

दिनांक:- 30/04/2017

भवदीय

गुरिन्द्र बीर सिंह (Gurinder Bir Singh)
15/22, तिलक नगर, नई दिल्ली - 110018

आप की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान प्रधान सचिव जी, DTTE
2. श्रीमान निदेशक जी, DTTE
3. श्रीमान सहायक निदेशक (Trg.) जी, DTTE
4. श्रीमान निदेशक जी, DOV/ACB/CVC
5. श्रीमान सहायक निदेशक (प्लानिंग) DTTE
6. श्रीमान सर्तकता अधिकारी जी- DTTE

गुरिन्द्र बीर सिंह
15/22, तिलक नगर,
नई दिल्ली - 110018

1
3

भारतीय डाक

India Post

SF TILAK NAGAR (110018)

ED306611349TN

Counter No:4,DP-Codes6

To:THE VIGILANCE OFFICER,

SHALIMAR BAGH, PIN:110088

From:GB SIMHA , ND18

Wt:65grams,

PS:5.00,Amt:24.00 ,04/05/2017 ,14:27

Taxes:Rs.4.00<Track on www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक

India Post

SF TILAK NAGAR (110018)

ED306611335TN

Counter No:4,DP-Codes6

To:ARVIND,DR

INDRAPRASHTHA, PIN:110002

From:GB SIMHA , ND18

Wt:65grams,

PS:5.00,Amt:24.00 ,04/05/2017 ,14:28

Taxes:Rs.4.00<Track on www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक

India Post

SF TILAK NAGAR (110018)

ED306611320TN

Counter No:4,DP-Codes6

To:DP BHOWMIJI,

INDRAPR. PIN:110002

From:GB SIMHA , ND18

Wt:70grams,

PS:5.00,Amt:24.00 ,04/05/2017 ,14:28

Taxes:Rs.4.00<Track on www.indiapost.gov.in